शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त

CENTRE FOR EXICIELLENCE

छात्रों हेतु परीक्षा संबंधी सामान्य निर्देश –

1. छात्र द्वारा प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शा.टी.आर.एस. की बेवसाइट पर उपलब्ध कराया गया मुख्य पृष्ठ लगाना एवं उसमें प्रविष्टियॉ करना अनिवार्य होगा।
2. उत्तर पुस्तिका हेतु A4 Size के पेपर का प्रयोग किया जावे।
3. प्रत्येक उत्तर अधिकतम 400 शब्दों में दिया जाय। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों की अधिकतम संख्या 16 पृष्ठ होगी।
4. परीक्षार्थी को प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के साथ प्रथम पृष्ठ पर अपने प्रवेश पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आनर्स के छात्रों के दोनों प्रश्न पत्र एक ही प्रश्न पत्र में दिये जायेंगे। किन्तु खण्ड अ प्रथम प्रश्न पत्र तथा खण्ड ब द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। दोनों खण्डों के उत्तर अलग–अलग उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे जायेंगे।
6. आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र के तीन भाग होंगे खण्ड अ, ब, स,। तीनों खण्ड के उत्तर अलग–अलग उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे जायेंगे।
7. वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय का एक ही प्रश्न पत्र होगा किन्तु उसके दो/तीन खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड के उत्तर अलग–अलग उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे जायेंगे।
8. एटीकेटी (स्नातक पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर) प्रमोटेड छात्रों की पात्रतानुसार परीक्षा संबंधित प्रश्न पत्र का असाइनमेंट जमा किये जायेंगे।
9. उत्तर पुस्तिकाओं का संग्रहण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए म.प्र. शासन उच्च शिक्षा मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 26 /08/2020 की कण्डिका 07 के अनुसार इस स्वशासी महाविद्यालय के परीक्षार्थियों की ओपन बुक परीक्षा प्रणाली की उत्तर पुस्तिकाएॅ शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा में ही निर्धारित समय सरिणी के अनुसार संग्रहित की जाएंगी। परीक्षार्थी डाक द्वारा भी निर्धारित समय–सीमा में उत्तर पुस्तिकाएॅ भेज सकेंगे। इसके उपरांत प्राप्त होने वाली उत्तर पुस्तिका को अस्वीकार कर मूल्यांकन में नही लिया जावेगा।
10. परीक्षा समाप्ति तिथि के उपरांत निर्धारित किये गये समय–सारिणी के अनुसार परीक्षार्थी लिखित उत्तर पुस्तिकाएॅ महाविद्यालय में जमा कर सकेंगे। तिथि समाप्ति के बाद किसी भी स्थिति में उत्तर पुस्तिकाएॅ जमा नहीं की जा सकेंगी/स्वीकार नहीं की जावेगी।
11. स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की आन्तरिक मूल्यांकन मे अनुत्तीर्ण /अनुपस्थित परीक्षार्थियों को आन्तरिक मूल्यांकन के लिए एक अवसर प्रदान करते हुए असाइनमेंट स्वीकार किया जायेगा।
12. स्नातक षष्ठ सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में जिन पाठ्यक्रमों /विषयों में डिजर्टेशन/प्रोजेक्ट आवश्यक है ऐसे परीक्षार्थी अपना डिजर्टेशन/प्रोजेक्ट परीक्षा समाप्ति के 06 दिवस के भीतर संबंधित विभागों में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।